महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

निपुण भारत

वेब-साइटः www.basiceducation.up.gov.in, **ई-मेलः** upefaspo@gmail.com **दूरभाषः** 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त, जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-गु0वि0/स्पोर्ट्स अनुदान/ 3468 **/2026-27** **दिनांक** 06.8 **2026**

विषयः **<u>समग्र शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में खेलकूद सामग्री कय के संबंध में दिशा-निर्देश।</u>**

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के कम में **प्रति प्राथमिक विद्यालय रू0 5,000/- तथा प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय रू0 10,000/-** की दर से खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु धनराशि संबंधी लिमिट स्वीकृत की गयी है।

2- संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अ0शा0पत्र संख्या-13-1/2022.IS.4 दिनांक-21.08.2023 **(संलग्नक-1)** द्वारा खेलकूद अनुदान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशा-निर्देश **" खेलें भी और खिलें भी "** जारी किये गये हैं। उक्त के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1) <u>विद्यालय स्तरीय कय समिति</u>

i. स्पोर्ट्स अनुदान वर्ष 2026-27 का उपभोग गत वर्ष की भाँति शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्पोर्ट्स गाइडलाइन्स **" खेलें भी और खिलें भी "** के क्रम में किया जायेगा। तद्नुसार खेलकूद सामग्री का चयन एवं कय प्रकिया गत वर्ष की भांति विद्यालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

ii. खेल-कूद सामग्री के चयन एवं कय हेतु निम्नानुसार विद्यालय स्तरीय समिति गठित की जायेः-

1.	प्रधानाध्यापक/वार्डन (KGBV)	अध्यक्ष
2.	खेलकूद शिक्षक/प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका KGBV	सदस्य सचिव
3.	03 अलग-अलग विषय के शिक्षक (उपलब्धता के अनुसार 01 महिला शिक्षक)	सदस्य

प्रधानाध्यापक/वार्डन द्वारा खेल-कूद प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका के रूप में विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक (स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा)/अंशकालिक खेल शिक्षिका (KGBV) अथवा बी0पी0एड0 योग्यताधारी सहायक अध्यापक को प्राथमिकता के आधार पर नामित किया जाये। विद्यालय में उक्तवत् कार्मिक/शिक्षक के कार्यरत न होने की स्थिति में खेल में रूचि रखने वाले शिक्षक/शिक्षिका को खेलकूद प्रभारी के रूप में प्रधानाध्यापक/वार्डन द्वारा नामित किया जाये।

2) <u>विद्यालय स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व-</u>

i. विद्यालय स्तरीय खेलकूद समिति द्वारा खेलकूद अनुदान वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत कय की जाने वाली खेलकूद सामग्री/उपकरण की पहचान एवं कय सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

ii. छात्र-छात्राओं की रूचि तथा स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों एवं समूह में (टीम के रूप में) खेले जाने वाले खेल जैसे-खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबाल, हैंडबॉल, क्रिकेट, चेस, कैरम आदि को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा खेलकूद सामग्री का चयन किया जाये। इन खेलों के लिए खेलकूद सामग्री का कय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत स्पोर्ट्स गाइडलाइन्स **दिनांक-21.08.2023** के कम में विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

iii. समिति द्वारा खेल-कूद सामग्री के क्रय के लिए **सुझावात्मक सूची (संलग्नक-2)** के अनुसार विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध खेल के मैदान के अनुसार गुणवत्तायुक्त खेल-कूद सामग्री का क्रय किया जायेगा।

iv. समिति द्वारा खेल–कूद सामग्री के क्रय के लिये पूर्व वर्षों में क्रय की गई खेल–कूद सामग्री की उपयोगिता का आकलन करते हुए वर्ष 2026–27 में विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बालक/बालिकाओं की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेल–कूद सामग्री का चयन कर उच्च गुणवत्तायुक्त खेल–कूद सामग्री का क्रय किया जायेगा।

v. समिति द्वारा विशिष्ट श्रेणी (शारीरिक रूप से दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टिबाधित) के छात्र–छात्राओं के लिए खेल गतिविधियों में शतरंज, कैरम, क्रिकेट, बैडमिण्टन, एथलेटिक्स आदि दिव्यांग सुरक्षित खेल गतिविधियां करायी जायेंगी एवं यथावश्यकतानुसार उपयुक्त खेल–कूद सामग्री का क्रय किया जायेगा।

vi. विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले खेलकूद कार्यक्रमों एवम् प्रतियोगिताओं में दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। खेलकूद कार्यक्रमों में प्रतिभागिता से इनका सर्वांगीण विकास होता है तथा उन्हें विद्यालय में समावेशी वातावरण प्राप्त होता है। अतः खेलकूद प्रतियोगिताओं में दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग कराने हेतु जागरूक किया जाय तथा उन्हें समुचित अवसर प्रदान किया जाये।

vii. विद्यालय प्रबंध समिति तथा पैरेन्ट टीचर मीटिंग में दिव्यांग विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य रूप से चर्चा का एक सत्र रखा जाये।

viii. विद्यालय, विकास खण्ड एवम् जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिव्यांग विद्यार्थियों की क्षमता का आकलन कर उन्हें खेलकूद की भिन्न–भिन्न टीम में सम्मिलित किया जाये।

ix. खेलकूद स्थल पर दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुरूप बाल मैत्रिक शौचालय व पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाये।

x. खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन में दिव्यांग विद्यार्थियों की सहभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। इसके लिये उन्हें अम्पायर, स्कोरर, कमेंट्रेटर की भूमिका के रूप में प्रतिभाग कराते हुये उन्हें प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की जाये।

xi. विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की सफलता की कहानी विभिन्न समाचार पत्रों व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित की जाय, जिससे कि आम जनमानस दिव्यांगजनों की क्षमताओं के प्रति जागरूक हो सके तथा उन्हें निरन्तर प्रेरित एवम् प्रोत्साहित किया जा सके।

xii. समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर **फिट इंडिया** गतिविधियों के अन्तर्गत प्रतियोगिता के आयोजन हेतु समय, स्थान एवं तिथि निर्धारित की जायेगी।

xiii. समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर **फिट इंडिया** गतिविधियों के समन्वय के लिए एक फिट इंडिया समन्वयक का चयन किया जायेगा।

xiv. समिति द्वारा विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में क्रय की गयी खेल–कूद सामग्री का शत–प्रतिशत सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

3) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति की भूमिका</u>

i. विद्यालय में प्राप्त स्पोर्ट्स अनुदान के उपभोग का अनुश्रवण करना।

ii. विद्यालय में स्पोर्ट्स गतिविधियों के संचालन का अनुश्रवण करना।

iii. खेलकूद मैदान को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

4) <u>खेलकूद प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका के उत्तरदायित्व–</u>

i. खेलकूद प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्पोर्ट्स अनुदान के अन्तर्गत क्रय की गयी खेल–कूद सामग्री का स्टॉक पंजिका तथा " पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका " में अंकन किया जायेगा तथा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशानुसार पंजिका के ऑनलाइन प्रारूप पर भी प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी।

ii. खेलकूद प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका (KGBV) द्वारा विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में खेल गतिविधि का संचालन एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा।

iii. ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जहाँ स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अनुदेशक/अंशकालिक खेल शिक्षिका कार्यरत हैं, उक्त विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों/अंशकालिक खेल शिक्षिका द्वारा विभिन्न खेलों के नियम आदि से छात्र–छात्राओं को अवगत कराया जाये एवं छात्र–छात्राओं के खेलने के समय समुचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

iv. खेल–कूद प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में **स्पोर्ट्स क्लब** का गठन किया जायेगा। खेलकूद प्रभारी द्वारा स्पोर्ट्स क्लब सदस्य के रूप में खेलों में रूचि रखने वाले कम से कम 10 छात्र–छात्राओं को नामित किया जायेगा। स्पोर्ट्स

क्लब के सदस्य खेल गतिविधियों तथा प्रतियोगिताओं में खेल–कूद प्रभारी शिक्षक को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

v. खेलकूद प्रभारी शिक्षक द्वारा खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करने वाले छात्र–छात्राओं की प्रोफाईल एवं उपस्थिति का विवरण रखा जायेगा।

vi. विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं को खेल गतिविधियों/पैरालम्पिक में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

5) <u>विद्यालय में सुरक्षा उपाय–</u>

i. खेलते समय छात्र–छात्राओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाये एवं प्राथमिक उपचार हेतु विद्यालय में **First aid box** की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी।

ii. खेल–कूद गतिविधियों के समय शिक्षकों द्वारा छात्र–छात्राओं का अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षण किया जाये।

iii. खेल के मैदान के पास तालाब, पत्थर, पेड़ की ठूंठ आदि नहीं होनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षा रक्षोपाय एवम् पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये।

iv. यथासम्भव खेल का मैदान समतल एवं घासयुक्त होना चाहिए।

6) <u>विद्यालय में खेलकूद गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश–</u>

i. विद्यालय में छात्र–छात्राओं की आयु के अनुरूप खेलकूद गतिविधियां करायी जायेंगी, जिसकी सुझावात्मक सूची **(संलग्नक–3)** संलग्न है।

ii. विद्यालय में **फिट इंडिया मूवमेंट** के अन्तर्गत स्थानीय खेलों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं विद्यालय में **फिट इंडिया** से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।

iii. विद्यालय में **खेलो इंडिया** के तहत खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए समय–समय पर अन्तर्विद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

iv. विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं की संक्षिप्त आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतियोगिता सम्पन्न होने के 01 सप्ताह के उपरान्त बेसिक शिक्षा निदेशालय एवम् राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जाये। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद द्वारा खेलकूद गतिविधियों के अच्छे फोटोग्राफ्स की डिजिटल डायरी भी राज्य परियोजना कार्यालय को एक माह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

v. विद्यालय द्वारा निर्मित समय–सारिणी में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में पीटी सत्र/खेल पीरियड के लिए न्यूनतम 30 मिनट का एक कालांश निर्धारित किया जाये।

7) <u>अनुश्रवण–</u>

i. **जिलाधिकारी द्वारा** खेलकूद सामग्री की उपलब्धता एवं क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में यथावश्यकतानुसार जांच टीम गठित की जायेगी, जिसमें यथावश्यकतानुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच करायी जा सकती है।

ii. **जनपद स्तर पर एक सप्ताह के अन्दर** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)/जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की **अनुश्रवण समिति** गठित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:–

a. जनपद में खेलकूद सामग्री की उपलब्धता, क्रियाशीलता, उपयोग एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त समिति का होगा।

b. **उक्त समिति द्वारा जनपद के कम से कम 10 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों (प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0/कम्पोजिट विद्यालय)/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–4) पर करते हुए आपूर्तित खेलकूद सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जायेगी। उक्त के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डी0सी0एफ0 पर आख्या अपलोड की जायेगी।**

c. भौतिक सत्यापन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाये कि जनपद के सभी विकास खण्ड आच्छादित हो जायें।

d. सत्यापन के दौरान क्रय की गयी खेलकूद सामग्री के अधोमानक होने अथवा उपलब्ध नहीं होने पर इसकी जाँच करायी जायेगी तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

e. खेल–कूद सामग्री क्रय में किसी भी दशा में केन्द्रीयकृत प्रकिया अमल में नहीं लायी जायेगी तथा खेलकूद सामग्री क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर ही किया जायेगा।

f. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण आख्या एवं कृत कार्यवाही से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

iii. **विकास खण्ड स्तर** पर खेलकूद सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता सुनिश्चित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी का होगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खण्ड के कम से कम 25 प्रतिशत परिषदीय विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में क्रय की गयी खेलकूद सामग्री का भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–4)** पर करते हुए खेलकूद सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जायेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल अग्रतर कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को साक्ष्य सहित अवगत कराया जायेगा।

iv. **परिषदीय विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** स्तर पर क्रय की गयी खेल–कूद सामग्री की गुणवत्ता एवं उपलब्धता हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/वार्डन पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

v. परिषदीय विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में क्रय की गयी खेलकूद सामग्री का प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार **ट्रैकिंग** की जायेगी :–

- सपोर्टिव सुपरविजन/विद्या समीक्षा केन्द्र से प्राप्त डेटा के आधार पर।
- प्रेरणा पोर्टल पर विकासखण्डवार स्पोर्ट्स अनुदान के अन्तर्गत क्रय की गयी खेल सामग्री के डेटा कैप्चर फॉर्मेट के आधार पर।

8) वित्तीय निर्देश

उपर्युक्तानुसार खेलकूद सामग्री का क्रय किये जाने के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में Sports & Physical Education के अन्तर्गत Sports & Physical Education (Primary Schools) मद में प्राथमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत रू0 5,000/– प्रति विद्यालय की दर से कुल धनराशि रू0 **4337.6000** लाख की लिमिट निम्नांकित विवरणानुसार जनपदों को जारी की जायेगी :–

Budget for Sports & Physical Education (Primary Schools)

Released Head & Component code	*Major component : Sports & Physical Education*
	Sub component : Sports & Physical Education
	Acitivity : Sports & Physical Education (Upto Highest Class VIII)
	Sub Activity : Sports & Physical Education (Primary Schools)
	Component Code : F.01.29.1

In lakh

S.N.	District Name	Recommended Budget of Sports & Physical Education for Primary Schools		Release Budget to standalone Primary Schools (Excluded PM SHRI schools)		Remaining Budget (In lakh)
		Phy.	Fin. @ 0.05000/-	Phy.	Fin. @ 0.05000/-	
1	2	3	4	5	6	7
1	AGRA	1618	80.900	1618	**80.900**	0.0000
2	ALIGARH	1374	68.700	1374	**68.700**	0.0000
3	PRAYAGRAJ	1820	91.000	1820	**91.000**	0.0000
4	AMBEDKAR NAGAR	1062	53.100	1062	**53.100**	0.0000
5	AMETHI	1136	56.800	1136	**56.800**	0.0000
6	AURAIYA	807	40.350	807	**40.350**	0.0000
7	AZAMGARH	1719	85.950	1719	**85.950**	0.0000
8	BAGHPAT	337	16.850	337	**16.850**	0.0000
9	BAHRAICH	1848	92.400	1848	**92.400**	0.0000
10	BALLIA	1613	80.650	1613	**80.650**	0.0000
11	BALRAMPUR	1163	58.150	1163	**58.150**	0.0000
12	BANDA	1092	54.600	1092	**54.600**	0.0000

13	BARABANKI	1770	88.500	1770	**88.500**	0.0000
14	BAREILLY	1686	84.300	1686	**84.300**	0.0000
15	BASTI	1428	71.400	1428	**71.400**	0.0000
16	BHADOHI	520	26.000	520	**26.000**	0.0000
17	BIJNOR	1352	67.600	1352	**67.600**	0.0000
18	BUDAUN	1488	74.400	1488	**74.400**	0.0000
19	BULANDSHAHR	1084	54.200	1084	**54.200**	0.0000
20	CHANDAULI	708	35.400	708	**35.400**	0.0000
21	CHITRAKOOT	817	40.850	817	**40.850**	0.0000
22	DEORIA	1374	68.700	1374	**68.700**	0.0000
23	ETAH	1124	56.200	1124	**56.200**	0.0000
24	ETAWAH	945	47.250	945	**47.250**	0.0000
25	FAIZABAD	1222	61.100	1222	**61.100**	0.0000
26	FARRUKHABAD	1006	50.300	1006	**50.300**	0.0000
27	FATEHPUR	1377	68.850	1377	**68.850**	0.0000
28	FIROZABAD	1196	59.800	1196	**59.800**	0.0000
29	GAUTAM BUDDHA NAGAR	297	14.850	297	**14.850**	0.0000
30	GHAZIABAD	249	12.450	249	**12.450**	0.0000
31	GHAZIPUR	1455	72.750	1455	**72.750**	0.0000
32	GONDA	1700	85.000	1700	**85.000**	0.0000
33	GORAKHPUR	1657	82.850	1657	**82.850**	0.0000
34	HAMIRPUR	585	29.250	585	**29.250**	0.0000
35	HAPUR	289	14.450	289	**14.450**	0.0000
36	HARDOI	2408	120.400	2408	**120.400**	0.0000
37	HATHRAS	778	38.900	778	**38.900**	0.0000
38	JALAUN	927	46.350	927	**46.350**	0.0000
39	JAUNPUR	1919	95.950	1919	**95.950**	0.0000
40	JHANSI	869	43.450	869	**43.450**	0.0000
41	AMROHA	780	39.000	780	**39.000**	0.0000
42	KANNAUJ	997	49.850	997	**49.850**	0.0000
43	KANPUR DEHAT	1247	62.350	1247	**62.350**	0.0000
44	KANPUR NAGAR	1153	57.650	1153	**57.650**	0.0000
45	KASGANJ	821	41.050	821	**41.050**	0.0000
46	KAUSHAMBI	621	31.050	621	**31.050**	0.0000
47	KHERI	1970	98.500	1970	**98.500**	0.0000
48	KUSHINAGAR	1633	81.650	1633	**81.650**	0.0000
49	LALITPUR	865	43.250	865	**43.250**	0.0000
50	LUCKNOW	1145	57.250	1145	**57.250**	0.0000
51	MAHARAJGANJ	1055	52.750	1055	**52.750**	0.0000
52	MAHOBA	486	24.300	486	**24.300**	0.0000
53	MAINPURI	1350	67.500	1350	**67.500**	0.0000
54	MATHURA	942	47.100	942	**47.100**	0.0000
55	MAU	760	38.000	760	**38.000**	0.0000
56	MEERUT	628	31.400	628	**31.400**	0.0000
57	MIRZAPUR	1217	60.850	1217	**60.850**	0.0000
58	MORADABAD	881	44.050	881	**44.050**	0.0000
59	MUZAFFARNAGAR	555	27.750	555	**27.750**	0.0000
60	PILIBHIT	920	46.000	920	**46.000**	0.0000
61	PRATAPGARH	1635	81.750	1635	**81.750**	0.0000
62	RAE BARELI	1669	83.450	1669	**83.450**	0.0000
63	RAMPUR	964	48.200	964	**48.200**	0.0000
64	SAHARANPUR	858	42.900	858	**42.900**	0.0000

65	SAMBHAL	808	40.400	808	**40.400**	0.0000
66	SANT KABIR NAGAR	798	39.900	798	**39.900**	0.0000
67	SHAHJAHANPUR	1814	90.700	1814	**90.700**	0.0000
68	SHAMLI	379	18.950	379	**18.950**	0.0000
69	SHRAWASTI	590	29.500	590	**29.500**	0.0000
70	SIDDHARTHNAGAR	1518	75.900	1518	**75.900**	0.0000
71	SITAPUR	2358	117.900	2358	**117.900**	0.0000
72	SONBHADRA	1410	70.500	1410	**70.500**	0.0000
73	SULTANPUR	1447	72.350	1447	**72.350**	0.0000
74	UNNAO	1869	93.450	1869	**93.450**	0.0000
75	VARANASI	790	39.500	790	**39.500**	0.0000
	Grand Total	**86752**	**4337.600**	**86752**	**4337.6000**	**0.0000**

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में Sports & Physical Education के अन्तर्गत Sports & Physical Education (Upper Primary Schools) मद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु रू0 10,000/– प्रति विद्यालय की दर से कुल धनराशि रू0 **4527.300** लाख की लिमिट निम्नांकित विवरणानुसार जनपदों को जारी की जायेगी :–

Budget for Sports & Physical Education (UPS & KGBV)

Released Head & Component code	*Major component : Sports & Physical Education*
	Sub component : Sports & Physical Education
	Acitivity : Sports & Physical Education (Upto Highest Class VIII)
	Sub Activity : -Sports & Physical Education (Upper Primary Schools)
	Component Code : F.01.29.2

In lakh

S.N.	**District Name**	**Recommended Budget with UPS & KGBV**				**Release Budget with UPS & KGBV (Excluded PM SHRI schools)**		**Remaining Budget (In lakh)**
		UPS	**KGBV**	**Total**	**Fin. @ 0.10000/-**	**Phy.**	**Fin @ 0.10000/-**	**Col 9= (6-8)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AGRA	851	13	864	86.400	864	**86.400**	0.000
2	ALIGARH	719	13	732	73.200	732	**73.200**	0.000
3	PRAYAGRAJ	970	20	990	99.000	990	**99.000**	0.000
4	AMBEDKAR NAGAR	501	8	509	50.900	509	**50.900**	0.000
5	AMETHI	415	13	428	42.800	428	**42.800**	0.000
6	AURAIYA	445	0	445	44.500	445	**44.500**	0.000
7	AZAMGARH	943	21	964	96.400	964	**96.400**	0.000
8	BAGHPAT	182	2	184	18.400	184	**18.400**	0.000
9	BAHRAICH	960	15	975	97.500	975	**97.500**	0.000
10	BALLIA	610	16	626	62.600	626	**62.600**	0.000
11	BALRAMPUR	634	11	645	64.500	645	**64.500**	0.000
12	BANDA	621	8	629	62.900	629	**62.900**	0.000
13	BARABANKI	830	15	845	84.500	845	**84.500**	0.000
14	BAREILLY	771	18	789	78.900	789	**78.900**	0.000
15	BASTI	621	13	634	63.400	634	**63.400**	0.000
16	BHADOHI	354	5	359	35.900	359	**35.900**	0.000
17	BIJNOR	748	14	762	76.200	762	**76.200**	0.000
18	BUDAUN	640	18	658	65.800	658	**65.800**	0.000
19	BULANDSHAHAR	745	16	761	76.100	761	**76.100**	0.000
20	CHANDAULI	457	9	466	46.600	466	**46.600**	0.000

21	CHITRAKOOT	438	4	442	44.200	442	**44.200**	0.000
22	DEORIA	714	13	727	72.700	727	**72.700**	0.000
23	ETAH	552	8	560	56.000	560	**56.000**	0.000
24	ETAWAH	527	2	529	52.900	529	**52.900**	0.000
25	AYODHYA	554	10	564	56.400	564	**56.400**	0.000
26	FARRUKHABAD	557	5	562	56.200	562	**56.200**	0.000
27	FATEHPUR	734	10	744	74.400	744	**74.400**	0.000
28	FIROZABAD	614	3	617	61.700	617	**61.700**	0.000
29	GAUTAM BUDDH NAGAR	208	3	211	21.100	211	**21.100**	0.000
30	GHAZIABAD	188	4	192	19.200	192	**19.200**	0.000
31	GHAZIPUR	779	14	793	79.300	793	**79.300**	0.000
32	GONDA	877	17	894	89.400	894	**89.400**	0.000
33	GORAKHPUR	807	20	827	82.700	827	**82.700**	0.000
34	HAMIRPUR	366	7	373	37.300	373	**37.300**	0.000
35	HAPUR	202	4	206	20.600	206	**20.600**	0.000
36	HARDOI	1002	20	1022	102.200	1022	**102.200**	0.000
37	HATHRAS	444	6	450	45.000	450	**45.000**	0.000
38	JALAUN	548	8	556	55.600	556	**55.600**	0.000
39	JAUNPUR	850	19	869	86.900	869	**86.900**	0.000
40	JHANSI	553	9	562	56.200	562	**56.200**	0.000
41	AMROHA	472	8	480	48.000	480	**48.000**	0.000
42	KANNAUJ	444	5	449	44.900	449	**44.900**	0.000
43	KANPUR DEHAT	657	1	658	65.800	658	**65.800**	0.000
44	KANPUR NAGAR	611	0	611	61.100	611	**61.100**	0.000
45	KASGANJ	429	8	437	43.700	437	**43.700**	0.000
46	KAUSHAMBI	460	8	468	46.800	468	**46.800**	0.000
47	KHERI	1105	16	1121	112.100	1121	**112.100**	0.000
48	KUSHINAGAR	800	14	814	81.400	814	**81.400**	0.000
49	LALITPUR	481	6	487	48.700	487	**48.700**	0.000
50	LUCKNOW	456	8	464	46.400	464	**46.400**	0.000
51	MAHARAJGANJ	645	13	658	65.800	658	**65.800**	0.000
52	MAHOBA	348	4	352	35.200	352	**35.200**	0.000
53	MAINPURI	544	3	547	54.700	547	**54.700**	0.000
54	MATHURA	581	10	591	59.100	591	**59.100**	0.000
55	MAU	431	5	436	43.600	436	**43.600**	0.000
56	MEERUT	419	5	424	42.400	424	**42.400**	0.000
57	MIRZAPUR	588	10	598	59.800	598	**59.800**	0.000
58	MORADABAD	513	9	522	52.200	522	**52.200**	0.000
59	MUZAFFARNAGAR	371	8	379	37.900	379	**37.900**	0.000
60	PILIBHIT	563	9	572	57.200	572	**57.200**	0.000
61	PRATAPGARH	709	15	724	72.400	724	**72.400**	0.000
62	RAE BARELI	602	16	618	61.800	618	**61.800**	0.000
63	RAMPUR	621	7	628	62.800	628	**62.800**	0.000
64	SAHARANPUR	557	9	566	56.600	566	**56.600**	0.000
65	SAMBHAL	465	10	475	47.500	475	**47.500**	0.000
66	SANT KABIR NAGAR	430	7	437	43.700	437	**43.700**	0.000
67	SHAHJAHANPUR	875	16	891	89.100	891	**89.100**	0.000
68	SHAMLI	203	4	207	20.700	207	**20.700**	0.000
69	SHRAWASTI	383	5	388	38.800	388	**38.800**	0.000
70	SIDDHARTHNAGAR	711	13	724	72.400	724	**72.400**	0.000
71	SITAPUR	1122	20	1142	114.200	1142	**114.200**	0.000

72	SONBHADRA	654	9	663	66.300	663	**66.300**	0.000
73	SULTANPUR	592	12	604	60.400	604	**60.400**	0.000
74	UNNAO	814	13	827	82.700	827	**82.700**	0.000
75	VARANASI	340	6	346	34.600	346	**34.600**	0.000
	Grand Total	**44527**	**746**	**45273**	**4527.300**	**45273**	**4527.300**	**0.000**

जनपदों को उक्त धनराशि संबंधी लिमिट निम्नांकित निर्देशों के अधीन जारी की जायेगी :–

1) प्रेषित की जाने वाली धनराशि का व्यय SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

2) प्रेषित की जाने वाली धनराशि संबंधी लिमिट जारी होने के उपरान्त **03 दिवस के अन्दर** विद्यालयों के एस०एम०सी० खाते में अन्तरित की जायेगी।

3) खेलकूद सामग्री का कय किये जाने के संबंध में होने वाले व्यय का विवरण स्टॉक पंजिका में (जैसे–सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय धनराशि, एजेन्सी/संस्था का नाम आदि) यथास्थान अंकित किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा स्टॉक पंजिका अद्यतन की जायेगी।

4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय प्रबन्ध पोर्टल पर **Sports & Physical Education (Primary Schools)/ Sports & Physical Education (Upper Primary Schools) मद** में भरा जायेगा।

5) खेलकूद सामग्री के कय के संबंध में होने वाले व्यय–विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स विद्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे।

6) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा।

7) समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026–27 में खेलकूद सामग्री का कय किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय पी०एम०श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में खेलकूद सामग्री कय के लिये नहीं किया जायेगा।

8) पी०एम० श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में खेलकूद सामग्री का कय किये जाने के लिये बजट एवं निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के कम में विद्यालयों में खेलकूद सामग्री का कय किये जाने के लिये सर्वसंबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,
6/8/26
(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं–गु0वि0/स्पोर्ट्स अनुदान/ 3460/2026–27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उ0प्र0।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण/निपुण भारत मिशन), समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उ0प्र0।

6/8/26
(मोनिका रानी)
राज्य परियोजना निदेशक